बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–28/6/19

संख्या–1/श्रम वि०ई० 8–80–01/2012 श्र०सं०...28.../**डॉ० उषा पाण्डेय,** आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमाल रोड, पटना के मामले में वित्त विभागीय अधिसूचना सं० 7181, दिनांक 08.9.16, जिसके द्वारा वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 67 वर्ष किया गया है, लागू होगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा था।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। वित्त विभाग का परामर्श है कि आयुष पद्धति के चिकित्सक बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं अथवा नहीं, आश्वस्त होकर प्रशासी विभाग को स्वयं निर्णय लेना चाहिए।

इस सम्बन्ध में विभाग के स्तर से समीक्षा की गयी। डॉ० उषा पाण्डेय की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि इनकी नियुक्ति कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर हुई है।

वर्णित स्थिति में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत आयुष चिकित्सकों के मामले में वित्त विभागीय अधिसूचना सं० 7181, दिनांक 08.9.16 प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
28/6/19
(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव

संख्या–1/श्रम वि०ई० 8–80–01/2012 श्र०सं०...28.../ पटना, दिनांक–28/6/19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/19
सरकार के उप सचिव।